पंचायती राज मंत्रालय

मांग संख्या 72

पंचायती राज मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2022-2023			बजट 2023-2024			संशोधित 2023-2024			बजट 2024-2025		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	901.18	...	901.18	993.27	23.15	1016.42	981.39	2.61	984.00	1161.20	22.44	1183.64
वसूलियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	**901.18**	**...**	**901.18**	**993.27**	**23.15**	**1016.42**	**981.39**	**2.61**	**984.00**	**1161.20**	**22.44**	**1183.64**
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	36.22	...	36.22	44.31	1.11	45.42	41.75	1.11	42.86	48.57	1.40	49.97
केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं												
2. स्वामित्व	103.29	...	103.29	55.46	20.54	76.00	54.00	...	54.00	50.46	19.54	70.00
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केंद्र प्रायोजित योजनाएं												
राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आर.जी.एस.ए.)												
3. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान	761.67	...	761.67	893.50	1.50	895.00	885.64	1.50	887.14	1062.17	1.50	1063.67
कुल जोड़	***901.18***	***...***	***901.18***	***993.27***	***23.15***	***1016.42***	***981.39***	***2.61***	***984.00***	***1161.20***	***22.44***	***1183.64***
ख. विकास शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	193.13	...	193.13	156.96	...	156.96	142.48	...	142.48	223.13	...	223.13
2. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	36.22	...	36.22	44.31	...	44.31	41.75	...	41.75	48.57	...	48.57
3. अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	...	...	...	...	22.04	22.04	...	1.50	1.50	...	21.04	21.04
4. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए पूंजीगत परिव्यय	...	...	...	...	1.11	1.11	...	1.11	1.11	...	1.40	1.40
जोड़-आर्थिक सेवाएं	**229.35**	**...**	**229.35**	**201.27**	**23.15**	**224.42**	**184.23**	**2.61**	**186.84**	**271.70**	**22.44**	**294.14**
अन्य												

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2022-2023			बजट 2023-2024			संशोधित 2023-2024			बजट 2024-2025		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
5. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	97.10	...	97.10	97.10	...	97.10	113.37	...	113.37
6. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	631.83	...	631.83	654.90	...	654.90	635.06	...	635.06	726.13	...	726.13
7. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	40.00	...	40.00	40.00	...	40.00	65.00	...	65.00	50.00	...	50.00
जोड़-अन्य	**671.83**	**...**	**671.83**	**792.00**	**...**	**792.00**	**797.16**	**...**	**797.16**	**889.50**	**...**	**889.50**
कुल जोड़	**901.18**	**...**	**901.18**	**993.27**	**23.15**	**1016.42**	**981.39**	**2.61**	**984.00**	**1161.20**	**22.44**	**1183.64**

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान पंचायती राज मंत्रालय के सचिवालयी व्यय के लिए है।

2. **स्वामित्व:** स्वामित्व (ग्रामीण क्षेत्रों में गांवों का सर्वेक्षण और उन्नत तकनीक के साथ मानचित्रण) 24 अप्रैल 2020 को माननीय प्रधान मंत्री द्वारा शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में ग्रामीण परिवारों के मालिकों को 'अधिकारों का रिकॉर्ड' प्रदान करना और संपत्ति कार्ड जारी करना है। यह क्रेडिट और अन्य वित्तीय सेवाओं के लिए ग्रामीण आवासीय संपत्तियों के मुद्रीकरण को सक्षम बनाता है। यह योजना पंचायती राज मंत्रालय, भारतीय सर्वेक्षण और राज्य सरकारों के सहयोगात्मक प्रयासों से कार्यान्वित की जा रही है। राज्यों को इस योजना के कार्यान्वयन के लिए भारतीय सर्वेक्षण के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता है।

3. **राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान:** दिनांक 13.04.2022 को अनुमोदन प्राप्त संशोधित आरजीएसए योजना का कार्यान्वयन दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2026 (15वें वित्त आयोग की अवधि के साथ सह-टर्मिनस) तक किया जाएगा जिसकी कुल लागत 5,911 करोड़ रुपये है जिसमें 3,700 करोड़ रुपये का केन्द्रीय अंश और 2,211 करोड़ रुपये का राज्य अंश शमिल है। यह योजना गैर-भाग IX क्षेत्रों में ग्रामीण स्थानीय सरकार के संस्थानों सहित देश के इस सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों तक विस्तारित है, जहां पंचायतें मौजूद नहीं हैं। योजना के केंद्रीय घटक का पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्तपोषण किया जाता है। हालांकि, पूर्वोत्तर, पहाड़ी राज्यों और जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र जहां केन्द्र और राज्य की हिस्सेदारी का अनुपात 90: 10 है को छोड़कर राज्यों के घटकों के लिए वित्तपोषण प्रणाली के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच अनुपात क्रमशः 60:40 है। अन्य संघ राज्य क्षेत्रों के लिए, केंद्रीय अंश 100% है। आरजीएसए की संशोधित योजना का फोकस पंचायती राज संस्थाओं को स्थानीय स्वशासन और आर्थिक विकास के सक्रिय (वाईब्रेंट) केंद्रों के रूप में फिर से विचार करने पर होगा, जिसमें सभी स्तरों पर सरकार के पूर्ण सहयोग से केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य के संबंधित विभागों के संगठित एवं सामूहिक प्रयासों के माध्यम से जमीनी स्तर पर विषयात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए सतत विकास के स्थानीयकरण पर विशेष बल दिया जाएगा।

आरजीएसए की संशोधित योजना के केंद्रीय घटक निम्नलिखित हैं (i) ई- पंचायत पर मिशन मोड परियोजना (ii) पंचायतों को प्रोत्साहन प्रदान करना (iii) एक्शन रिसर्च एंड पब्लिसिटी/कार्य अनुसंधान एवं प्रचार और (iv) अंतरराष्ट्रीय सहयोग।